झारखण्ड सरकार

कल्याण विभाग

संकल्प

459
02.02.18

विषयः– **बिरसा आवास निर्माण योजना के तहत आवासों के बेहतर पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं प्रबंधन के लिए पंचायत स्वयं सेवक/स्वयं सहायता समूह को आवासों के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने पर प्रति ईकाई रू० 500/– (पांच सौ रूपये) का प्रोत्साहन राशि के भुगतान की स्वीकृत्ति के संबंध में।**

कल्याण विभाग द्वारा अति कमजोर जनजातियों के लिए बिरसा आवास निर्माण की योजना संचालित है। इस हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1821, दिनांक–10.08.2011 तथा पत्रांक–2294, दिनांक–22.07.2016 निर्गत है। सम्प्रति इस योजना के लिए प्रति आवास ईकाई रू० 1,31,500.00 (एक लाख एकतीस हजार पांच सौ रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृत्ति प्रदत्त है और इसका शत–प्रतिशत वहन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

2. बिरसा आवास निर्माण योजना में आवासों को ससमय पूर्ण करने हेतु बेहतर पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है।
3. उक्त के आलोक में प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना के तर्ज पर बिरसा आवास निर्माण योजना में आवासों को पूर्ण करने पर आवास निर्माण की भौतिक स्थिति तथा निर्धारित समय अनुसार विभिन्न चरणों में पंचायत स्वयं सेवक/स्वयं सहायता समूह को निम्नरूपेण प्रोत्साहन राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

क्रं०	आवास निर्माण की भौतिक स्थिति	निर्धारित समय	राशि
1	प्लिंथ स्तर तक कार्य पूर्ण होने पर	1 महीना 15 दिन	रू० 100/– प्रति आवास
2	लिंटर स्तर तक कार्य पूर्ण होने तक	1 महीना 15 दिन	रू० 100/– प्रति आवास
3	छत पूर्ण होने पर	2 महीना	रू० 100/– प्रति आवास
4	आवास पूर्ण होने पर	1 महीना	रू० 200/– प्रति आवास
	कुलः–	6 महीना	रू० 500/– प्रति आवास (रूपये पांच सौ)

4. समय सीमा की गणना बैंक खाते में प्रथम किस्त की राशि के भुगतान से मान्य होगा एवं उक्त तिथि से 06 (छः) माह के अंदर कार्य पूर्ण करने पर ही प्रोत्साहन राशि देय होगी।
5. पंचायत स्वयं सेवक/स्वयं सहायता समूह को आवासों को पूर्ण कराने पर प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा। पंचायत स्वयं सेवक/स्वयं सहायता समूह की भूमिका योजना के गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन, मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं निर्धारित अवधि के भीतर सम्पन्न करा लिया जाना होगा।
6. उक्त प्रोत्साहन राशि का व्यय संबंधित वित्तीय वर्ष में बिरसा आवास निर्माण योजना मद के बजटीय उपबंध से किया जाएगा।
7. प्रस्ताव पर मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति कल्याण विभागीय संलेख ज्ञापांक–141, दिनांक–10.01.2018 के क्रम में दिनांक–24.01.2018 की बैठक के मद संख्या–06 में दी गयी है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(हिमानी पाण्डे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–4/यो०बिरसा आ०–02/2015 459 दिनांक– 02.02.18

प्रतिलिपिः– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त/सभी उप निदेशक कल्याण/सभी परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।